[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 50/2023 – केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

सा.का.नि....(अ).- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार , परिषद् की सिफारिशों पर , भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 66/2017 - केंद्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 , जिसे सा.का.नि.1422 (अ) , तारीख 15 नवंबर, 2017 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निमंलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी, "उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन संरचना उद्‌ग्रहण ", शब्दो और अंक के पश्चात "उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (102 क) में परिभाषित निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों की आपूर्ति करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के सिवाय अन्य," शब्दो और अंको को अंतः स्थापित किया जायेंगे ।

[फा.सं.-सीबीआईसी- 20016/29/2023-जीएसटी]

(राघवेन्द्र पाल सिंह)
निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या 66/2017- केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि.1422 (अ), तारीख 15 नवंबर 2017 के अधीन प्रकाशित किया गया था ।